बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 5763577 / पटना, दिनांक 15.06.26

ग्रा0वि0-6-बजट/05-05/2026

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-42 के तहत सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत मूल बजट उपबंधित राशि रू0 7500.00 लाख (पचहत्तर करोड़) में से बजट उपबंधित राशि का 33 प्रतिशत अर्थात रू0 2475.00 लाख (चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख) के आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-5753142 दिनांक-12.06.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-5753142 दिनांक-12.06.2026 द्वारा राज्य वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-42 के तहत सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत मूल बजट उपबंधित राशि रू0 7500.00 लाख (पचहत्तर करोड़) में से बजट उपबंधित राशि का 33 प्रतिशत अर्थात रू0 2475.00 लाख (चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है । स्वीकृत राशि रू0 2475.00 लाख (चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख) का आवंटन जीविका को किया जाता है।

2. आवंटित राशि की निकासी विभागीय माँग सं०-42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-102-सामुदायिक विकास, उप शीर्ष-0119-सतत जीविकोपार्जन योजना, विपत्र कोड 42-2515001020119, 3106 सहायक अनुदान गैर वेतन (सामुदायिक विकास मद) के अंतर्गत विकलनीय है।

3. आवंटित राशि की निकासी ग्रामीण विकास विभाग के अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी । निकासी की गयी राशि Bihar Rural Livelihoods Promotion Society, BRLPS-SJY, Indian Bank, Account No.6719021284, IFSC Code-IDIB000N087, Vidhyut Bhawan,Bailey Road, Patna, Bihar के बैंक खाते में उपलब्ध करायेंगे । मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक, बी0आर0एल0पी0एस0, विद्युत भवन, पटना इस राशि का व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विभाग को उपलब्ध कराऐंगे।

4. वित्त विभाग के परिपत्र सं0- 2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राशि व्यय की जायेगी ।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

6. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

15.6.26

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5763577 पटना, दिनांक 15.06.26

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.6.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5763577 पटना, दिनांक 15.06.26

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (सिंचाई भवन), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.6.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5763577 पटना, दिनांक 15.06.26

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS–सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना / आई0टी0मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) /विभागीय लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.6.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5763577 पटना, दिनांक 15.06.26

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15.6.26

सरकार के अपर सचिव